न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2018

बलविन्द्र सिंह पुत्र खडक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 पीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ। —रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ

दिनांक 30.06.2017

उपस्थिति—

श्री मनोहरलाल अरोडा अभिभाषक अपीलांट्स

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 15.7.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बलविन्द्र सिंह ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधि.पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 3 पी.एम. तहसील अनूपगढ का मु. नं. 86/39 के 25 बीघा रकबा बतौर अस्थाई आवंटन वर्ष 1970—71 में किया गया है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि अस्थाई पर आवंटन है। कई वर्ष तक प्रार्थी के नाम नवीनीकरण होता रहा। लेकिन वर्तमान में नवीनीकरण नहीं हुआ। प्रार्थी ने उक्त भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो जैरकार है। जमाबन्दी सम्वत् 2041—46 तक में उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज हो गई इसके बाद भी जमाबन्दी सं. 2046—50 तक में सिवाय चक दर्ज है। गजट नोटिफिकोशन में यह कृषि भूमि वर्ष 1961 में पौंग बांध हेतु आरक्षित नहीं की गई है। उक्त कृषि भूमि लिपिकीय भूल से जमाबन्दी वष 2066 से 69 तक बनाते समय सिवाय चक के स्थान पर पौंगबांध आरक्षित कृषि भूमि दर्ज की गई है। अतः निवेदन है कि चक 3 पी.एम. तहसील अनूपगढ का मु.नं. 86/39 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

25 बीघा के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर पौंग बांध आरक्षित कृषि भूमि के स्थान पर सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे ताकि प्रार्थी उक्त भूमि टीसी से पुख्ता आवंटन के आदेश प्राप्त कर सके।

(A) नायब तहसीलदार अनूपगढ ने प्रा.पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में मु.नं. 86/39 दर्ज किया है जबकि चक 3 एम. में उक्त मु.नं. 86/39 राजस्व रिकार्ड में नही है। मु.नं. 86/39 उक्त चक में नहीं होने के कारण शुद्धि नहीं की जानी है। प्रा.पत्र खारिज योग्य है।

(B) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2017 से प्रार्थी का उक्त प्रा.पत्र खारिज कर दिया।

(C) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(I) विद्वान अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं अधी. न्यायालय में प्रस्तुत प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अपने वाद पत्र/प्रा.पत्र में दर्ज भूमि के राजस्व रिकार्ड में पौंगबांध आरक्षित के नोट को हटवाने हेतु पेश किया कि किस सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में पौंगबांध आरक्षित भूमि का नोट लगवाने हेतु आदेश दिये गए है अथवा किसी आधार पर पौंगबाध आरक्षित का नोट जमाबन्दी में लगाया गया। अधी. न्यायालय द्वारा इन सब तथ्यों की जांच नहीं की कि अपीलांट अदालत से क्या अनुतोष चाहता है। महज एक लिपिकीय भूल को देखते हुए अपीलांट का वाद पत्र अपने आदेश से निरस्त कर दिया। अधी. न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 30.06.2017 को पारित करने से पूर्व अपीलांट को पूर्ण साक्ष्य का अवसर दिया जाता तो अपीलांट इस लिपिकीय भूल को दुरूस्त कर अपनी साक्ष्य दर्ज करवाता। अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर मौजूद तथ्यों, साक्ष्यों व परिस्थितियों का सही रूप से विवेचन नहीं किया। अपील देरी से पेश करने बाबत अपील ने प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधि. मय

शपथ पत्र पेश किया है जिसमें देरी बाबत समुचित कारण किये गये। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने के आदेश फरमावे।

(II) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कि अधी.न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने यह अपील लगभग 10 माह बाद पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर है। अतः निवेदन है कि अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) हमने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश का अवलोकन किया। प्रार्थी का स्वयं का कथन है कि मु.नं. 86/36 अस्थाई आवंटन वर्ष 1970–71 में किया गया। किन्तु जबाब तहसीलदार के अनुसार मु.नं. 86/39 सम्बन्धित चक में नहीं है तथा पौंग बांध आरक्षित श्रेणी का है तथा उस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा भी नहीं है। उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 30.06.2017 उचित है।

(b) बाद में उन्होंने आवंटन आदेश की प्रति दिखाते हुए मु.नं. 36/39 का आवंटन बताया , यह विरोधाभाषी व अस्पष्ट तथ्य है जिसका अपील से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(c) इस प्रकार अपील अस्वीकार की जाती है। क्योंकि उसने ना तो मूल आवेदन में , ना ही अपील में संशोधन करवाया है व अपील भी देरी से प्रस्तुत की है। वह चाहे तो नये सिरे से 15 दिवस में आवेदन करे। उपखण्ड अधिकारी जांच कर विधितः आदेश 2 माह में जारी करे।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर(राज.)